कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर

क्रमांक :–प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/2367 दिनांक : 28.02.2021

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई–नीलामी आमंत्रण हेतु अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि/धरोहर राशि/कम्पोजिट फीस में संशोधन बाबत सूचना :–

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य में आबकारी बन्दोबस्त हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांक प.4(1)वित्त/आब/2021 दिनांक 06.02.2021 द्वारा जारी आबकारी नीति 2021–22 एवं प.4(7)वित्त/आब/ 2020 दिनांक 23.01.2021 के निर्देशानुसार भारत सरकार के उपक्रम **एम.एस.टी.सी.** लिमिटेड के माध्यम से ई–नीलामी (ई–बोली) प्रक्रिया से करने हेतु विभिन्न चरणों में समसंख्यक पत्रांक 2274 व 2276 दिनांक 07 फरवरी, 2021 एवं समसंख्यक पत्रांक 2318 दिनांक 19 फरवरी, 2021 तथा 2337 दिनांक 22.02.2021 से ई–बोली आमंत्रित की गई है। राज्य सरकार के पत्रांक प. 4(1)वित्त/आब/2021 दिनांक 17.02.2021 एवं 28.02.2021 द्वारा आबकारी नीति 2021–22 में संशोधन किया गया है तदनुसार पूर्व में जारी ई–नीलामी आमंत्रण सूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–
2. दुकानवार नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली सम्बन्धित दुकान के लिये '**वार्षिक गारण्टी राशि**' के रूप में निर्धारित की जायेगी।
3. न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त राशि पर निर्धारित मात्रा में मदिरा उठाव की शर्त लागू नही होगी। अर्थात न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त राशि 12 समान मासिक किश्तों में नगद जमा कराया जा सकता है या किसी भी प्रकार की मदिरा उठाव पर भुगतान किये गये आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क से समायोजन योग्य होगी।
4. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में वर्ष 2021–22 की वार्षिक गारन्टी राशि की 2% राशि जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता के नाम स्वीकृति जारी होने पर देय धरोहर राशि की 50 प्रतिशत (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) राशि बोली स्वीकार होने की दिनांक (ई–नीलामी दिवस को छोडकर) 03 दिवस में एवं शेष राशि 07 दिवस में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई–ग्रास चालान के माध्यम से संबंधित बजट मद के अन्तर्गत राजकोष में जमा करानी होगी।
5. वर्ष 2021–22 के लिये निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि का 5 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में दिनांक 01.04.2021 या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी। 05 प्रतिशत अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि का वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह मार्च, 2022 में निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा उठाव हेतु देय आबकारी ड्यूटी/अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी अथवा मासिक गारन्टी राशि पेटे समायोजन योग्य होगी।
6. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये निर्धारित कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि 31 मार्च 2021 तक अथवा दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो तथा शेष 50 प्रतिशत कम्पोजिट फीस आगामी तीन माह की अवधि में अर्थात 30 जून, 2021 तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई–ग्रास चालान के माध्यम से संबंधित बजट मद के अन्तर्गत राजकोष में जमा करानी होगी।
7. आयातित विदेशी मदिरा (BIO) के मासिक उठाव के लिये जमा करायी गई फीस का नियमानुसार भराव देय होगा।
8. पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार मदिरा दुकानों की ई–नीलामी 03.03.2021 से 10.03.2021 तक पांच चरणों में आयोजित की जायेगी। आवेदक बोली दिनांक से एक दिन पहले तक, रात्रि 11.59 बजे तक नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
9. अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी।

28.02.21

10. उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexcise.gov.in** एवं एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर पर उपलब्ध है।

28.02.24

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।

क्रमांकः प.32(बी)(1)आब / एल / 2021–22 / 2367 दिनांक : 28.02.2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान।
3. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), आबकारी विभाग, उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान।
6. ब्रांच मेनेजर, एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), आई.टी. अनुभाग, उदयपुर।
8. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन समस्त.....।
9. जिला आबकारी अधिकारी समस्त.....।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर